न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55/2022

उनवान

1. बाबूलाल आत्मज कालूलाल जी जाति धाकड
2. पुष्कर राज आत्मज कालूलाल जी जाति धाकड
3. धनराज आत्मज कालूलाल जी जाति धाकड
4. लीलाधर आत्मज कालूलाल जी जाति धाकड
5. गंगाराम आत्मज रामकिशन जाति धाकड
6. हेमन्त आत्मज बालकिशन जाति धाकड
7. योगेन्द्र आत्मज बालकिशन जाति धाकड
8. जानकीलाल आत्मज मांग्या जाति धाकड
9. गणेशराम आत्मज नंदलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा

—अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल आत्मज किशना जी जाति बैरवा
2. बृजमोहन आत्मज किशना जी जाति बैरवा निवासीगण ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री रघुनन्दन गौतम (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.07.2021 न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 16/2021 बउनवान चौथमल बनाम बाबूलाल

निर्णय दिनांक :25.10.2024

अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास मे चौथमल पुत्र किशना जाति बैरवा ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा निर्णय दिनांक 28.07.2021 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी लीलाधर पुत्र कालू जानकीलाल पुत्र मांगीलाल गणेशराम पुत्र नन्दलाल वर्गे0 रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश दिये गये।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 15.06.2022 को पेश की गई। अपील पेश होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट, की ओर से श्री रघुनन्दन गौतम एडवोकेट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही ग्राम हरिपुरा मांझी में ख0न0 314 रकबा 0.01 हैक्टर,ख0न0 315 रकबा 0.46 हैक्टर ख0न0 316 रकबा 0.12 हैक्टर ख0न0 317 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0न0 318 रकबा 0.01 हैक्टर ख0न0 319 रकबा 0.16 हैक्टर ख0न0 320 रकबा 0.07 है0 ख0न0 321रकबा 0.02 है0 ख0न0 322 रकबा 0.01 है0 ख0न0 323 रकबा 0'07 है0 ख0न0 324 रकबा 0.18 है0 कुल 11 किता की 1.22 है0 आराजी पर से बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट के नाम आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही अपीलाण्ट के कब्जे वाली आराजी का रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया है। अपीलाण्ट कब्जे वाली आराजी पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलाण्ट द्वारा कब्जे वाली आराजी जो पूर्व में उबड खाबड व खाल खद्दर थी जिसको अपीलाण्ट द्वारा काफी पैसा एवं मेहनत मजूदरी कर समतल व उपजाउ बनाया है तथा अपीलाण्ट द्वारा कुंआ खुदवाया जिससे सिंचाई करते है तथा कुल भूमि रास्ते की भूमि है उक्त सभी तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बाद भी अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि स्वंय रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 28.07.2020 रेस्पोडेन्ट को अपने कब्जे की भूमि पर से उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा बेदखल करने पर जानकारी होना अवगत बताया है। ठीक इसके विपरीत अपीलाण्ट द्वारा वर्णित आराजी पर पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त प्रमाणित किया है इस प्रकार कब्जे की विधित सीमा 12 वर्ष गुजर जाने के तथ्यों को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य के अनुसार अपीलाण्ट का कब्जा होना व रेस्पोडेण्ट का कब्जा नहीं होने के संबध में आवंटन निरस्त करते हेतु माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की आपत्ति प्रस्तुत की उक्त आपत्ति पर बिना किसी गुण अवगुण द्वारा अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर लिया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट से की गई जिरह में स्वंय रेस्पोडेन्ट द्वारा यह स्वीकार किया है कि उनका कब्जा वर्णित आराजी पर कभी भी नहीं रहा है और हमेशा से ही अपीलाण्ट का ही कब्जा रहा तथा रेस्पोडेन्ट कब्जे वाली आराजी को ही अपनी आराजी मानकर उसमे कुंआ आदि खुदवाया है इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजी वर्णित आराजी नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट को अन्य आराजी आवंटित की है उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने पर अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का बहस में कथन है कि अपील अन्दर मियाद नहीं है। लिमिटेशन के साथ प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अपील मे एक साल के समय का अन्तर है। उक्त कृषि भूमि प्राथीगण के पिता श्री किशना को आवंटन हुई थी। तथा श्री किशना को आवंटन के पश्चात मौके पर जाकर दखल दे दिया गया था। जिस स्थान पर प्रार्थीगण के पिता श्री किशना को दखल दिया गया उस स्थान पर वे आजीवन शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में रहे थे। तथा अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से उक्त आराजी को कब्जा काश्त किया जा रहा है। प्रार्थी जाति से बैरवा है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते है। तथा प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी की आराजी या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28..07.2021 की पालना में मुझे 2022 में कब्जा संभला दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पत्रावली में जवाब हमारे पक्ष में है। अतः अपील विधि सम्मत नहीं होने से खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय बहाल जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम हरिपुरा मांझी में ख0न0 314 रकबा 0.01 हैक्टर,ख0न0 315 रकबा 0.46 हैक्टर ख0न0 316 रकबा 0.12 हैक्टर ख0न0 317 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0न0 318 रकबा 0.01 हैक्टर ख0न0 319 रकबा 0.16 हैक्टर ख0न0 320 रकबा 0.07 है0 ख0न0 321रकबा 0.02 है0 ख0न0 322 रकबा 0.01 है0 ख0न0 323 रकबा 0'07 है0 ख0न0 324 रकबा 0.18 है0 कुल 11 किता की 1.22 हैक्टर भूमि में जमाबन्दी सम्वत 2073––76 में चौथमल पुत्र किशना व बृजमोहन पुत्र किशना जाति बैरवा वर्ग0 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट खातेदार है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की जाति बैरवा है। जो अनुसूचित जन जाति वर्ग की श्रेणी में आती है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः तहसीलदार कनवास द्वारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तहसीलदार कनवास द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 28.07.2021 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अति. जिला कलक्टर
कोटा, जिला कोटा